अध्याय II
लेखापरीक्षा की रूपरेखा

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों द्वारा यह निर्धारित करना था कि क्याः

(i) क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को राज्य के विधानों में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है?

(ii) क्या राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उचित रूप से निर्मित संस्थानों/संस्थागत तंत्र और उनके कार्यों के निर्माण के माध्यम से अपने कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है?

(iii) वे कार्य जिन्हे हस्तांतरित कहा गया है, क्या उन्हें वास्तव में प्रभावी ढंग से हस्तांतरित किया गया है? तथा

(iv) क्या शहरी स्थानीय निकायों को उन्हें हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त संसाधनों की प्राप्ति हेतु सशक्त किया गया है?

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थेः

(i) 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992;

(ii) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009;

(iii) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए कानून और उपविधि;

(iv) सामान्य वित्तीय और लेखा नियम;

(v) स्वायत्त शासन विभाग और राजस्थान सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाएं, आदेश और परिपत्र;

(vi) केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदन।

2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्य पद्धति

अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा दो चरणों में सम्पादित की गई थी। जून से दिसंबर 2020 तक प्रथम चरण में राज्य सरकार और पैरास्टेटल्स द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा शामिल थी और द्वितीय चरण में सभी स्तरों पर 14 शहरी स्थानीय निकायों व चयनित पांच[1] कार्यों की नमूना जांच शामिल थी। कोरोना महामारी के कारण शहरी स्थानीय निकायों का चयन जयपुर और आसपास के क्षेत्र तक सीमित रखना पड़ा। शहरी स्थानीय निकायों को आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल यादृच्छिक नमूने के माध्यम से चयनित किया गया। परीक्षण जांच के लिए चयनित शहरी स्थानीय निकायों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.1: चयनित इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार	जनसंख्या वार श्रेणी	इकाईयों की कुल संख्या	चयनित इकाईयां	इकाईयों के नाम
1.	नगर निगम	I	2	2	जयपुर और अजमेर
2.	नगर परिषद	I	11	2	सीकर और किशनगढ़
3.	नगर निगम	II	5	1	नवलगढ़
		III	22	3	चाकसू, चौमू और निवाई
		IV	38	6	जोबनेर, थानागाजी, शाहपुरा, फुलेरा, बगरू और लालसोट
योग			**78**	**14**	

लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित पांच केन्द्रित क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों का चयन विस्तृत नमूना-जांच हेतु किया गया था:

(i) अग्निशमन सेवाएं;

(ii) जन स्वास्थ्य और स्वच्छता;

(iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;

(iv) सम्पत्ति कर; और

(v) शहरी सुविधाओं के प्रावधान जैस पार्क, उद्यान, स्वेल के मैदान

सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के साथ 23 दिसंबर 2020 को एक प्रविष्टि सभा आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों के बारे में बताया गया। सचिव,

1 तीन कार्यों (एक प्रमुख कार्य "जन स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" को व्यापकता के कारण दो कार्यों में विभाजित किया गया है + अग्निशमन सेवाएं + शहरी सुविधाओं के प्रावधान और सुविधाएं) और एक प्रमुख राजस्व स्रोत 'संपत्ति कर'।

स्वायत्त शासन विभाग के साथ 22 जुलाई 2021 को एक समापन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रारूप अनुच्छेदों में उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार से प्राप्त (जुलाई 2021) प्रत्युत्तर को भी प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2.4 आभार

लेखापरीक्षा आयोजित करने में राज्य सरकार, निदेशालय स्थानीय निकाय, रीको, नगरीय विकास प्राधिकरण/नगरीय सुधार न्यास, राजस्थान आवासन मंडल, रुडसिको और सभी चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

कार्यों, निधियों एवं कार्मिकों के हस्तांतरण से संबंधित लेखापरीक्षा आक्षेप निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्याय III: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

अध्याय IV: शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली

अध्याय V: शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

अध्याय VI: शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन

अध्याय VII: निष्कर्ष